राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1128/2015/अजमेर

मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड,
बांगड नगर, ब्यावर, अजमेर. .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त अजमेर. .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री आर.के.खदाव,भिभाषक ......प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 25/07/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 32/13–14/वैट/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्त, अजमेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के RIPS (Rajasthan Investment Promotion Policy)-2003 के अनुदान आदेश दिनांक 14.03.2014 व 28.02.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् अन्तर अनुदान राशि रूपये 8,69,707/– की मांग को यथावत् रखा गया है।

2. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

3. व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.04.2015 को चुनौती दी गई है जिसमें RIPS-2003 स्कीम में वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.4(18)एफडी/टैक्स/2001 पीटी दिनांक 10.10.2008 में संशोधन के आधार पर व्यवहारी द्वारा जमा करवाये गई कर राशि पर ही अन्तर अनुदान स्वीकार किया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने यथावत् रखा है।

4. व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील में बताये गये आधारों में यह कारण दिया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को कुल देय कर पर अनुदान प्राप्त होना चाहिए था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को घटाकर अन्तर अनुदान स्वीकार किया है, जो कि अविधिक है।

5. उपराजकीय अभिभाषक ने बताया कि व्यवहारी की अपील के उक्त आधार विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आर.एस.डब्ल्यू.एम.लि. बनाम राजस्थान सरकार एवं उमा पॉलीमर्स लि. बनाम राजस्थान सरकार व अन्य आदेश दिनांक 24.11.2011 में **"दैय कर (Tax Payable)"** को निम्न प्रकार परिभाषित किया है–

निरन्तर...........................2

> "The contention of the learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because it is hypothetical figure to construe 'tax payable' as the 'gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter "T" which defines net tax payable is O (output tax) + R (Reverse Tax) + P (Purchase tax payable under Section 4(2)) (–) I (input tax). Therefore, the 'tax payable' under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but 'net tax payable' by the assessee or manufacturer as per Section 17 of the Act."

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा RIPS-2003 में दिनांक 10.10.2008 जारी स्पष्टीकरण एफ.4(18)/एफडी/टैक्स/डिव./2001 के संशोधन 3 निम्न प्रकार है–

> the term "tax payable" under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 is the amount of tax leviable under the Act less the amount of input tax credit if any for the purpose of the Scheme.

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवहारी को विस्तार से पूर्व उत्पादन क्षमता से अधिक किये गये उत्पादन पर देय जमा कर की राशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज, मजदूरी/रोजगार अनुदान देय माना। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं वित्त विभाग के संशोधन आदेश के आलौक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होता है।

7. फलतः अपीलीय अधिकारी के सुविचारित, विधिक एवं तथ्यपरक आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य